न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निवाई टोंक

पीठासीन अधिकारी :–प्रीति मीणा (RAS)
राजस्व वाद संख्या :–210/2025
प्रविष्टि दिनांकः–15.09.2025

वादीगण :–

1. ठाकूर राज पुत्र प्रहलाद जाति बैरवा निवासी कस्बा निवाई तहसील निवाई जिला टोंक
2. पवन कुमार बैरवा पुत्र ग्यारसीलाल बैरवा एसबीबीजे कॉलोनी तहसील चाकसू जयपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. ओमप्रकाश पुत्र सुन्दरलाल जाति बलाई निवासी नांगर नरहर पटवारी हल्का करेड़ा बुजुर्ग तहसील निवाई जिला टोंक
2. भंवरलाल पुत्र रामूलाल जाति रैगर निवासी ग्राम जयसिंपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर
3. लक्ष्मण लाल पुत्र पूंजिया जाति चमार निवासी डूंगर तह0 घाटोल जिला–बांसवाड़ा (राज0)
4. हनुमान पुत्र रामदेव जाति बलाई निवासी नांगल नरहर पटवारी हल्का करेड़ा बुजुर्ग तहसील निवाई जिला टोंक
5. तहसीलदार निवाई जिला टोंक।
6. नायब तहसीलदार/उपपंजीयक दतवास तहसील निवाई।

निर्णय

दावा बाबत् तकासमा आराजियात एवं स्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक 15/12/25

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वाद पत्र आराजी खसरा नंबर 342/4 रकबा 1.5176 हैक्टेयर वाके ग्राम नांगल नरहर पटवार हल्का करेड़ा बुजुर्ग तहसील निवाई जिला टोंक बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रकरण में प्रतिवादीगण बाद तामिल अनुपस्थित रहने पर वाद को तकासमा की हद तक स्वीकार किया जाकर दिनांक 23.09.2025 को प्राथमिक डिक्री किया गया था। तहसीलदार निवाई से कुर्रेजात रिपोर्ट (पी0डी0) चाही गई जिसकी पालना मे तहसीलदार निवाई द्वारा पी0डी0 रिपोर्ट प्रस्तुत की।

प्राथमिक डिक्री की पालना मे तहसीलदार निवाई ने पत्रांक 17796 दिनांक 04.12.2025 द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) न्यायालय में प्राप्त होकर शामिल मिसल है।

तहसीलदार निवाई द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई, जिसका अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषक को सुना गया। अधिवक्ता वादी ने कथन किया कि वादी संख्या 02 एवं प्रतिवादी संख्या 02 का हिस्सा वाद जैरकार होने के समय बेचान कर दिया गया है। जिससे वादग्रस्त आराजियात के तकासमा हेतु तैयार की गई कर्रेजात रिपोर्ट नवीन खातेदारान को शामिल करते हुये तैयार कर भिजवाई गई है। अतः वर्तमान वादी संख्या 02 एवं प्रतिवादी संख्या 02 का नाम डिलिट फरमाने का एवं नवीन खातेदारान को क्रमशः वादी संख्या 02 एवं प्रतिवादी संख्या 02 के रूप में पक्षकार स्वीकार करते हुये मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वादी का वाद अंतिम रूप से डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया जमाबन्दी का अवलोकन किया गया नवीन खातेदारान को पक्षकारान बनाया जाना एवं वादी सं0 2 एवं प्रतिवादी संख्या 02 का नाम डिलिट किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वर्तमान वादी संख्या 02 एवं प्रतिवादी संख्या 02 का नाम लाल स्याही से डिलिट किया जाता है एवं नवीन खातेदारान का नाम लाल स्याही से जोड़ा जाता है। नवीन पक्षकारान की ओर से अधिवक्ता उपस्थित ।वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य वाद वादी तहसीलदार निवाई से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

आदेश

अतः वादी का वाद तहसीलदार निवाई से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर तकासमा की हद तक स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है खसरा नंबर 342/4 रकबा 1.5176 हेक्टेयर वाके ग्राम नांगल–नरहर तहसील निवाई जिला टोंक का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

ग्राम–**नांगल नरहर,** पटवार मण्डल–**करेड़ा बुजुर्ग** तहसील **निवाई,** जिला **टोंक**

जमाबंदी संवत 2079,		**खसरा नं0–342/4 (रकबा हैक्टेयर मे)**	
क्र.सं.	नाम खातेदार	ख.न.	रकबा
1 वादीगण	01 ठाकुरराज पुत्र प्रहलाद जाति बैरवा सा0 कस्बा नवाई तहसील निवाई खातेदार	342/4/A	0-0126
	02 पवन कुमार बैरवा पुत्र ग्यारसीलाल बैरवा जाति बैरवा वार्ड नं0 20 एसबीबीजे कॉलोनी तहसील चाकसू	342/4/C	0-6955
2 प्रतिवादीगण	01 भंवरलाल पुत्र रामूलाल जाति रैगर निवासी जयसिंहपुरा तह0 चाकसू जिला जयपुर	342/4/B	0.1897
	02 ओमप्रकाश पुत्र सुन्दरलाल हिस्सा 119/6198, हनुमान पुत्र रामदेव हिस्सा 1897/6198 जाति बलाई, लक्ष्मण लाल पुत्र पूंजिया हिस्सा 4182/6198 जाति चमार सा0 डूंगर तह0 घाटोल जिला–बांसवाड़ा	342/4/D	0-4182
		342/4/E	0-2016
	योग	किता–2	0.6198

आज **दिनांक** 15/12/24 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी निवाई (टोंक)

(प्रीति मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, निवाई

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई, जिला टोंक

पीठासीन अधिकारी :—प्रीति मीणा **(RAS)**
राजस्व वाद संख्या :—210/2025
प्रविष्टि दिनांक:—15.09.2025

वादीगण :—

1. ठाकूर राज पुत्र प्रहलाद जाति बैरवा निवासी कस्बा निवाई तहसील निवाई जिला टोंक
2. पवन कुमार बैरवा पुत्र ग्यारसीलाल बैरवा एसबीबीजे कॉलोनी तहसील चाकसू जयपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :—

1. ओमप्रकाश पुत्र सुन्दरलाल जाति बलाई निवासी नांगर नरहर पटवारी हल्का करेड़ा बुजुर्ग तहसील निवाई जिला टोंक
2. भंवरलाल पुत्र रामूलाल जाति रैगर निवासी ग्राम जयसिंपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर
3. लक्ष्मण लाल पुत्र पूंजिया जाति चमार निवासी डूंगर तह0 घाटोल जिला—बांसवाड़ा (राज0)
4. हनुमान पुत्र रामदेव जाति बलाई निवासी नांगल नरहर पटवारी हल्का करेड़ा बुजुर्ग तहसील निवाई जिला टोंक
5. तहसीलदार निवाई जिला टोंक।
6. नायब तहसीलदार/उपपंजीयक दतवास तहसील निवाई।

दावा बाबत तकासमा आराजियात एवं स्थायी निषेधाज्ञा

अंतिम पर्चा डिकी

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, निवाई व हाजरी वकील वादीगण मिनजामिन मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है। वादी का वाद तहसीलदार निवाई से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिकी किया जाता है हाल खसरा नंबर 342/4 रकबा 1.5176 हेक्टेयर वाके ग्राम नांगल—नरहर तहसील निवाई जिला टोंक का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य तहसीलदार निवाई से प्राप्त पीडी रिपोर्ट, किया जाता है जिसका विस्तृत रूप से उल्लेख आदेश में वर्णित है। तहसीलदार निवाई आदेश में वर्णित रकबे के अनुसार आदेश की पालना करें।

(प्रीति मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, निवाई

मोहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्तनामा वकील		
महन्तनामा वकील	शून्य		खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन		शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिंक		
मुतफरिंक					
मीज़ान			मीज़ान		

आज दिनांक 15/12/25 को ये अंतिम डिक्री पर्चा मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(प्रीति मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, निवाई